

# बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक- 28.08.2023

स्थान- कृष्ण पुरी भवन, ह0 च0 मा0 रीपा, जयपुर

आयोजक - बाल संदर्भ केन्द्र, जयपुर

सहयोग - यूनिसेफ, राजस्थान

समय	विषय	संदर्भ व्यक्ति
09.30-09.45	पंजीकरण	बाल संदर्भ केन्द्र
09.45-09.55	स्वागत एवं कार्यक्रम का परिचय	श्री राजकुमार पालीवाल तकनीकी विशेषज्ञ ( बाल संरक्षण ) बाल संदर्भ केन्द्र, ह. च. मा. रीपा, जयपुर
09.55-10.20	उद्घाटन सत्र	
10.20-11.15	जेण्डर आधारित भेदभाव, बाल विवाह एवं इसके दुष्परिणामों पर समझ	सुश्री तृष्णा पारीक युवा एवं जेंडर विशेषज्ञ, UNFPA
11.15-11.30	चाय एवं अल्पाहार	
11.30-12.30	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन में व्यवहारिक खामियां एवं चुनौतियां	श्री संजय कुमार निराला बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान
12.30-01.30	बाल विवाह रोकथाम हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाएं एवं कार्यक्रम	डॉ जगदीश प्रसाद उप निदेशक, निदेशालय महिला अधिकारिता, जयपुर
01.30-02.15	भोजन	
02:15-03.30	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	श्री महेन्द्र कुमार दवे न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, उदयपुर
03:30-03.45	चाय	
03:45-05.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की शक्तियां, दायित्व एवं भूमिका तथा अपेक्षाएं</li> <li>• बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का अन्य कानूनों से साथ जुड़ाव</li> </ul>	श्री गोविन्द बेनीवाल विशेषाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग
05.00	धन्यवाद एवं समापन	बाल संदर्भ केन्द्र